mRrjk[k.M dk;l cVokjk fu;ekoyh e vkofVr dk;kl d lEcU/k e jkT; e ykxw 'kklukns'kk dk ladyu %

उत्तरांचल वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड, देहरादून – 248 001 दूरभाष: 0135–2657610 फैक्स : 0135–2655488

पत्रांक : ई– 5074 /सूचना का अधिकार दिनांक: 8 जनवरी, 2010

सेवा में

मुख्य सूचना आयुक्त
सेंक्टर 1,सी–30 डिफैस कालौनी
देहरादून।

विषयः– उत्तराचल वन विकास निगम में शासनादेश , कार्यालय आदेश एवं परिपत्रो के संकलन के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4030 / उ0सू0आ0 / मु0सू0आ0 / 2009 दिनांक 12–8–09 एंव पत्रांक 4442 / उ0सू0आ0 / 2009 दिनांक 1–9–09

महोदय,

सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उतरांचल वन विकास निगम में उपलब्ध शासनादेश , कार्यालय आदेश एंव परिपत्रो की छाया प्रति स्काल वाइडिग में कराकर संलग्न कर आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः– 2000 से पूर्व के पत्रों की छाया प्रति –1 स्काल वांइडिग
2000 के पश्चात के पत्रो की छाया प्रति –3 स्काल वांइडिग

भवदीय

8/1/2010

लोक सूचना अधिकारी

C: My Documents/AKW/AKW

Phone: 84965
81883

U. P. FOREST CORPORATION

B-932, SECTOR-B, MAHANAGAR, LUCKNOW.

Letter No. ई-10353/मकान किराया भत्ता,

Reference ....

सितम्बर 21, 88

Date ....

सेवा में,

1- समस्त महाप्रबन्धक,
2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 वन निगम ।

विषय: डिपो स्टाफ को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाना ।

महोदय,

वन निगम की सेवा नियमावली के नियम संख्या 32(2) के अनुसार डिपो स्टाफ को मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है । अतः उन्हें यह भत्ता अनुमन्य किया जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 43 वीं बैठक की मद संख्या 9 में, प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य कर दिया गया है:-

1- कार्यस्थल से 8 किलोमीटर की परिधि में ही सम्बन्धित कर्मचारी का आवास हो ।

2- किन्हीं विशेष परिस्थिति में 3 किलोमीटर से बाहर आवासीय व्यवस्था लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में मकान किराया भत्ता की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक के स्तर से ही निर्गत की जाय ।

2- अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ऐसे डिपो स्टाफ को जिन्हें डिपो में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, को इस पत्र के जारी होने की तिथि से मकान किराया भत्ता सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत यह भत्ता अनुमन्य होगा ।

(एस0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या:- ......(1)/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, मुख्यालय ।
2- आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ ।
3- पत्रावली संख्या-1,

(एस0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या- [illegible]/पी0आर0सी0/पी0-1-91-223040आर0/9[illegible]

प्रेषक,

श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/बीडा/नोएडा के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1. लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 1991

विषय:-सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिभूतियां जमा करने वाले कार्मिकों को विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2880/पीवालिस-1-206/84, दिनांक 21 मार्च, 1985 का आंशिक संशोधन करके सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/निगमों, कम्पनीज़ ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम/निकायों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह निदेश देते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिभूतियां जमा करने वाले कार्मिकों के लिए उक्त शासनादेश में स्वीकृत की गई विशेष वेतन की दरों को दिनांक 1-1-87 से निम्नवत पुनरीक्षित किया जाय:-

(क) रु0 2000/-की प्रतिभूति	रु0 30/-प्रतिमाह
(ख) रु0 2000/-से अधिक किन्तु 3000/-रु0 से अनधिक की प्रतिभूति	रु0 40/-प्रतिमाह
(ग) रु0 3000/-से अधिक किन्तु 4000/-रु0 से अनधिक की प्रतिभूति	रु0 50/-प्रतिमाह
(घ) रु0 4000/-से अधिक किन्तु रु0 5000/- से अनधिक की प्रतिभूति	रु0 60/-प्रतिमाह
(ड.) रु0 5000/-से अधिक प्रतिभूति	रु0 70/-प्रतिमाह

2- उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी

भवदीय,

(कमल कान्त जैसवाल)
सचिव ।

फोन : 71883
तार : वन निगम
पो. बा. नं. 216

उत्तर प्रदेश वन निगम

18/448, सेक्टर-18, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226 016

पत्रांक .... दिनांक ....

सं0- /मि-2/6 अगस्त 30, 91.

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश वन निगम ।

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति-आवश्यक/महत्वपूर्ण

विषय: दैनिक वेतन पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध ।

महोदय/

इस कार्यालय की पत्र संख्या सं0-3059/24-3-2/डी-3, दिनांक 15-1-1987 द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा यह आदेश दिये गये थे कि बिना प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के दैनिक वेतन पर कोई भी नियुक्ति न की जाय । अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह बात आयी है कि इन आदेशों के बावजूद भी कुछ कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया है ।

2- आप स्वयं प्रत्येक प्रभाग में मौके पर जाकर तथा रिकार्ड के आधार पर जाँच कर दिनांक 15 सितम्बर, 1991 तक इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें कि किन-किन कर्मचारियों को दिनांक 31-12-88 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखा गया है तथा उसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है । नियुक्ति की तिथि तथा यदि आरक्षित वर्ग का हो तो आरक्षण का वर्ग भी इंगित करें । यदि दैनिक वेतन पर नियुक्ति से पूर्व प्रबन्ध निदेशक से स्वीकृति ली गयी है तो प्रबन्ध निदेशक के आदेश का भी उल्लेख करें ।

3- यदि यह सूचना दिनांक 15- -1991 तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिये आपको उत्तरदायी माना जायेगा तथा आप अनुशासनिक कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे । सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक जिनके प्रभाग में इस प्रकार का स्टाफ बिना स्वीकृति के लगाया गया है उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

(के0सी0 बरियाल)
प्रबन्ध निदेशक

सं0 ई- 7303 /1/तद्दिनांक ।

(प.उ.)

प्रतिलिपि अपर प्रबन्ध निदेशक एवं समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(के0सी0 बरियाल)
प्रबन्ध निदेशक

पारे0/29-8-91.

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, 18/448, इन्दिरानगर, लखनऊ-16

पत्रांक जी-10920 /कार्यालय आदेश दिनांक: जनवरी 22, 1992

कार्यालय आदेश

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 13.12.91 को आहूत 63वीं बैठक की मद सं0 3.9 में उत्तर प्रदेश वन निगम में कार्यरत सीधी भर्ती के कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में एक बार रियायती दर पर इमारती लकड़ी की सुविधा निजी मकान निर्माण हेतु दिये जाने का निर्णय निम्न प्रकार से लिया गया है:-

(1) सीधी भर्ती के नियमित कर्मचारियों को, जो परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हों, को पूरे सेवाकाल में एक बार केवल साल व शीशम (मैदानी अंचल) तथा देवदार व कैल (पर्वतीय अंचल) प्रकाष्ठ की सुविधा आधार मूल्य के 50 प्रतिशत दर पर निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

(अ) "क" व "ख" श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम 3 घ0मी0 (तीन घनमीटर)

(ब) "ग" श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम 2 घ0मी0 (दो घनमीटर)

(स) "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम 1.5 घ0मी0 (डेढ़ घनमीटर)

(2) उपरोक्त प्रकाष्ठ तभी अनुमन्य होगा जब कर्मचारी शहरी क्षेत्र में निर्मित होने वाले भवन का नक्शा नगर महापालिका या अन्य स्थानीय निकाय जो इसके लिये अधिकृत हैं, के द्वारा स्वीकृत किया गया हो। ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होने वाले भवनों के लिये यह सुविधा उपरोक्तानुसार कार्मिकों को तभी अनुमन्य होगी, जब ग्राम प्रधान द्वारा निर्मित होने वाले भवन के नक्शे को प्रमाणित किया गया हो।

(3) प्रकाष्ठ यथासंभव भवन निर्माण में उपयोग के वांछित नाप के चिरान के रूप में दिया जायेगा, गोल प्रकाष्ठ देय नहीं होगा।

(4) प्रकाष्ठ का उपयोग स्वीकृत किये जाने के एक वर्ष की अवधि के अन्दर किये जाने का प्रमाण पत्र संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। उपयोग न करने अथवा प्रकाष्ठ का दुरुपयोग किये जाने पर स्वीकृत प्रकाष्ठ के मूल्य की वसूली बाजार भाव से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

(5) क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने क्षेत्र के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रकाष्ठ स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत होंगे। इससे ऊपर के कार्यालयों के लिये संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष इस हेतु प्राधिकृत होंगे।

(6) इस प्रकार आपूर्ति किये गये प्रकाष्ठ की स्वीकृति के आदेश के संदर्भ के साथ इस मात्रा की प्रविष्टि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित की जायेगी। इसका दायित्व उस अधिकारी का होगा जिसके अधीन वह अधिकारी/कर्मचारी उस समय कार्यरत है, जब प्रकाष्ठ स्वीकृत होता है।

क्रमशः --2 ----

☎: 72135
71883
तार : वन निगम
पो. बा. नं. 216

उत्तर प्रदेश वन निगम

18/448 सेक्टर-18, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016

सं-............ /~~दैनिक~~ नीन-2/6

17

दिनांक ~~अक्टूबर~~ ...92

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश वन निगम।

EC विषय: दैनिक वेतन पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध।

सन्दर्भ: इस कार्यालय का पत्र सं० ई-7303/दैनिक, दिनांक 30.8.91

G.M. महोदय,

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया है कि दैनिक वेतन पर नियुक्ति की जाने हेतु पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

2- इस सम्बन्ध में पुनः यह सूचित करना है कि आप अपने अधीन कार्यरत समस्त प्रभागीय प्रबन्धकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को दें कि उनके अधीन दिनांक 31.12.1988 के बाद नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें रखने की अनुमति अधिकारियों से प्राप्त की गयी हो छोड़कर) कार्यरत नहीं है।

3- चूंकि यह सूचना प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखी जानी है, अतः यह सूचना कृपया 15 दिन के अन्दर भेजें।

भवदीय,

(एन०एस० नेगी)
प्रबन्ध निदेशक,

सं० ई-11602 /.... तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: समस्त महा... कार्यवाही हेतु, उ०प्र० वन निगम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन०एस० नेगी)
प्रबन्ध निदेशक,

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम,
10/450, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

संख्या जी- 621 /प्रकाष्ठ आवंटन/विभागीय कर्मचारी दिनाँक अप्रैल 24, 92

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय आदेश संख्या जी-10920/कार्यालय आदेश, दिनाँक 22-1-92 के बिन्दु-1 में आंशिक संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के कुमाऊँ, गढ़वाल, पश्चिमी तथा टिहरी क्षेत्र में तैनात नियमित कर्मचारियों को जो परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हों, को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार साल, शीशम, देवदार व कैल उनकी मांग के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त परिवहन व्यय न होने की दशा में उपलब्धता के अनुसार प्रकाष्ठ क्रय करने की सुविधा आधार मूल्य के 50 प्रतिशत दर पर निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1-'क' 'ख' श्रेणियों के कर्मचारियों को 3 घ0मी0 ।
2-'ग' श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 घ0मी0 ।
3-'घ' श्रेणियों के कर्मचारियों को 1 1/2(डेढ़) घ0मी0 ।

2- अन्य शर्तें उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार पूर्ववत लागू रहेंगी ।

(एन0एस0नेगी)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या जी-621 (1)/उक्त दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महाप्रबन्धक, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश वन निगम, देहरादून ।
2- क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, गढ़वाल, पश्चिमी व टिहरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश वन निगम, नैनीताल, कोटद्वार, रामनगर व देहरादून वे कृपया अपने अधीनस्थ प्रभागीय प्रबन्धकों को तदनुसार सूचित कर दें ।

(एन0एस0नेगी)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वननिगम, 18/448, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016

पत्रांक :- 1156/छटनी/92 दिनांक: मई 14, 1992

गोपनीय

सेवा में,

1- समस्त महाप्रबन्धक (नाम से)
2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक (नाम से)
3- समस्त प्रभागीय प्रबन्धक (नाम से)
उ0प्र0 वन निगम ।

विषय:- उ0प्र0 वन निगम में 31 दिसम्बर, 1988 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे कर्मचारियों की छटनी ।

महोदय,

[illegible] वन्य जीव (संशोधन अधिनियम) 1991 तथा अन्य कारणों से वन क्षेत्रों में कटान में कमी होने के परिणामस्वरूप उ0प्र0 वन निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत कुछ स्टाफ अतिरिक्त (सरप्लस) हो गया है। निगम हित में अतिरिक्त स्टाफ की छंटनी/अपरिहार्य हो गयी है । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल 31 दिसम्बर, 1988 के पश्चात रखे गये दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाय । निम्न कर्मचारी इसके अपवाद होंगे:-

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी
(ख) मृतक कर्मचारी के बदले नियुक्त उनके आश्रित । यदि मृतक 31 दिसम्बर, 1988 से पूर्व का था तथा उसके आश्रित को सेवा पर रखने के लिये प्रबन्ध निदेशक के आदेश हों।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि छंटनी की कार्यवाही "औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-25 (एफ) एवं 25(जी) एवं यू0पी0 औद्योगिक झगड़ा अधिनियम 1947 की धारा 6-एन एवं 6 पी तथा उ0प्र0 झगड़ा नियमावली 1957 के नियम 42 के प्राविधानों के अनुसार की जाय ।

3- उपरिवर्णित अधिनियम की धारा 6 एन, 6 पी एवं नियम 42 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (एफ) एवं 25 (जी) का उद्धरण क्रमशः संलग्नक "क" "ख" एवं "ग" में संलग्न किये जा रहे हैं ।

4- उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत "छंटनी" के बाबत जो नोटिस संबंधित कर्मचारी एवं शासन, श्रमायुक्त तथा क्षेत्रीय संराधन अधिकारी को निर्गत किये जाने हैं, उनके प्रारूप संलग्नक क्रमशः "घ" एवं "ङ" में संलग्न किये जा रहे हैं ताकि इस बाबत कोई भ्रम अथवा असुविधा न रहे ।

5- छंटनी मुआवजे का भुगतान छंटनी करने से पूर्व किया जाना है । यदि कोई [illegible] कर्मचारी अपना नोटिस वेतन तथा छंटनी मुआवजा प्राप्त नहीं करता है तो उसे मनीआर्डर द्वारा, कमीशन काटे बिना भिजवा दिया जाय ।

इस संबंध में यह आवश्यक है कि नोटिस वेतन एवं छंटनी मुआवजा का भुगतान छंटनी के कम से कम एक दिन पूर्व प्राप्त करने का निर्देश नोटिस में दिया जाय तथा कर्मचारी द्वारा भुगतान न प्राप्त करने की स्थिति में उक्त धनराशि मनीआर्डर द्वारा प्रेषित करा दिया जाय ।

6- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (00) में "छंटनी" की परिभाषा दी गयी है जिसका उद्धरण संलग्नक-"द" में दिया जा रहा है ।

7- उपरोक्त अधिनियम की धारा-2 (00) की उपधारा (bb) के अनुसार यदि श्रमिक एवं सेवायोजकों के बीच हुए समझौते के अधीन सेवायोजन की एक निश्चित अवधि का

(2)

उल्लेख किया गया है तथा उक्त समझौते (contract) के नवीनीकरण न किये जाने के कारण कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जाताहै तो उक्त सेवा समाप्ति (termination) को छटनी नहीं माना जायेगा । अतः इस प्रकार की सेवा समाप्ति के मामलों में छंटनी की शर्तों का, जैसे एक मास का नोटिस एवं छटनी मुआवजा का भुगतान आदि पूर्ण करना आवश्यक नहीं है ।

8- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति निश्चित अवधि के लिये ही की जाय । नियुक्ति पत्र में जिस अवधि के लिये नियुक्ति की जारही है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय । बिना नियुक्ति पत्र जारी किये कोई भी नियुक्ति दैनिक वेतन पर न की जाय । नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर 31 दिसम्बर, 1988 से पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों में से ही की जाय । नई नियुक्ति करना प्रतिबंधित है । इन आदेशों की अवहेलना पर पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित नियुक्तिकर्ता की होगी ।

9- कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार छटनी की कार्यवाही करते हुये अनुपालन सूचना दि0 31.05.92 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाय । उक्त तिथि के पश्चात भी यदि 31 दिसम्बर, 1988 के बाद में नियुक्त दैनिक वेतन के कर्मचारी सेवा में रहेगें तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह नेगी)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक:प्रपत्र क,ख,ग,घ,इ एवं च (छ:प्रपत्र)

12/5

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6-एन

CONDITIONS PRECEDENT TO RETRENCHMENT OF WORKMEN

No workman employed in any industry who has been in continuos service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until-

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice:

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service;

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of service or any part thereof in excess of six months, and

(c) Notice in the prescribed manner is served on the state Government.

उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6(पी)

Procedure for retrenchment:- Where any workman in an industrial establishment who is a citizen of India is to be retrenched and he belongs to a particular category of workman in that establishment, in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employeed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman.

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(एफ)

Conditions precedent to retrenchment of workmen:

No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until:-

(a) The workman has been given one month's Notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice;

(b) The workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay(for every completed year of continuous service) or any part there of in excess of six months; and

(c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government(or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the official Gazettee).

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(जी)

Procedure for retrenchment: Where any workman in an industrial establishment, who is a citizen of India is to be retrenched and he belongs to a particular category of workman in that establishment, in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman.

संलग्नक-घ

कार्यालय प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक/विक्रय प्रबन्धक,.............प्रभाग, उ0प्र0 वन नि

छंटनी के संबंध में नोटिस

निम्नलिखित कर्मचारियों को एतद्द्वारा आज दि0....... ....को नोटिस दिया जाता है एवं सूचित किया जाता है कि कार्य की कमी/कार्य समाप्त हो जाने के कारण निम्नलिखित कर्मचारियों की छंटनी दिनांक..............से हो जायेगी ।

अतः निम्नलिखित कर्मचारी अपनी छंटनी के दि0.............. (उक्त तिथि से एक दिन पूर्व) को कार्यालय पर उपस्थित होकर छंटनी भत्ता प्राप्त कर लें एवं अपना अपना स्थायी पता दे देवें ताकि भविष्य में यदि कार्य का सृजन होता है तो उनको कार्य पर रखा जा सके ।

क्र0सं0	नाम एवं पद (वरिष्ठता सूची के आधार पर)	श्रेणी
1	2	3

दिनांक..............

हस्ताक्षर................

पद ....

42

(7)

संलग्नक-ई

प्रेषक,

प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक,
.................प्रभाग,
उ0प्र0 वन निगम,
....

पंजीकृत

सेवा में,

1- सचिव,
श्रम (ए) विभाग,
उ0प्र0 सरकार,
लखनऊ

2- श्रमायुक्त,
उ0प्र0, पी. ओ. बाक्स संख्या 220,
कानपुर

3- संराधन अधिकारी,
....
....

महोदय,

उ0प्र0 औद्योगिक झगड़ा अधिनियम 1947 (उ0प्र0 अधिनियम वर्ष 1947 का 28) की धारा 6-एन की उपधारा (ए) के अन्तर्गत मुझे एतद्द्वारा आपको यह सूचित करना है कि, कार्य कम हो जाने के कारण..(संख्या)........ कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया गया है।

2- अधिनियम की धारा 6-एन की उपधारा "ए" में वांछित नोटिस के बदले उक्त कर्मचारीको दि0............... को एक माह का वेतन देदिया गया है।

3- उ0प्र0 वन निगम के लौगिंग/विक्रय प्रभाग................में कार्य पर लगाये गये कुल कर्मचारियों तथा छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है:-

छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी/पद	कर्मचारियों की संख्या	
	कार्य में लगाये गये	छंटनी किये जाने वाले
1	2	3
1-		
2-		

भवदीय,

हस्ताक्षर............
पदनाम...............

संलग्नक-द

(8)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(00)

" RETRENCHMENT" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include-

(a) Voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman conderned contains a stipulation in that behalf; or

(bb) Termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health;

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, 18/448, इन्दिरानगर, लखनऊ।

ई- 2135 /3-2/4-1 दिनांक: जून 24, 1992.

"कार्यालय आदेश"

इस कार्यालय की जानकारी में यह बात आई है कि कभी-कभी कैम्प चपरासी, कैम्प डाकिया, कुक, किचन सहायक आदि को दैनिक चौकीदार के पद पर रख लिया जाता है, जिससे बहुत सी प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों की सूची अलग-अलग रखी जाय तथा इनमें से किसी को भी दैनिक वेतन चौकीदार के कार्य पर न रखा जाय।

2- दिनांक 23.06.92 को क्षेत्रीय प्रबन्धकों की बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय भी लिया गया कि किचन सहायक की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः किचन सहायक न लगाये जाय।

3- यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

§ नरेन्द्र सिंह नेगी §
प्रबन्ध निदेशक

सं0 ई- 2135 §1§/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

§ नरेन्द्र सिंह नेगी §
प्रबन्ध निदेशक

G.M (H)

परि0/23.6

गोपनीय/महत्वपूर्ण

संख्या-2142/14-1-92/1/1986

प्रेषक,

नीरा यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2318
22/7/92

वन अनुभाग (एक) लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 1992

विषय:- वन सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारियों की चरित्र-पंजिका में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर सम्यक रूपेण विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि रेंजर एवं उनसे उच्चस्तरीय समस्त अधिकारियों के प्रतिवेदक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उनके पर्यवेक्षक एवं (सीधे) नियन्त्रक अधिकारी होंगे। तदनुसार वार्षिक प्रविष्टि लिखे जाने विषयक शासनादेश संख्या-3401/14-1-1986 दिनांक 17 जुलाई, 1986 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि अंकित किये जाने की व्यवस्था निम्नवत् आदेशित की जाती है:-

अधिकारियों के पद नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1- वन रेंजर	सहायक वन संरक्षक/ समकक्ष स्तर के अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभा0 निदेशक/उप वन संरक्षक	वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक
2- सहायक वन संरक्षक, (रा0व0से0 भा0व0से0	प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय निदेशक/उप वन संरक्षक	वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक,	प्रमुख वन संरक्षक
3- प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभा0 निदेशक/उप वन संरक्षक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी	वन संरक्षक	मु0वन संरक्षक,	सचिव, वन
4- वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख वन संरक्षक	सचिव, वन
5- मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख वन संरक्षक,	सचिव, वन	मा0मंत्री, वन
6- प्रमुख वन संरक्षक,	सचिव, वन	मुख्य सचिव	मा0मंत्री, वन

शेष अगले पृष्ठ पर

फोन : 382135
381883

उत्तर प्रदेश वन निगम

तार : वन निगम
पो. बा. नं. 216

18/448 सेक्टर-18, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016

पत्रांक ---/......../......ई-/तीन-2(2-3), दिनांक 29/ /92

कार्यालय आदेश

विभिन्न डिपुओं के प्रबन्ध परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डिपो कर्मचारियों का कार्य समय में काफी समय भोजन की व्यवस्था में व्यतीत होता है । इससे उनकी कार्य क्षमता तथा वन निगम के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिपो में निम्न प्रकार रसोइयाँ अनुमन्य किया जाता है :-

1. डिपो जिसमें 10 कर्मचारी तक कार्यरत है । - एक रसोइयाँ
2. डिपो जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है । - दो रसोइयाँ

(आर०एस०सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

सं०:ई-6249/(1)-उक्त दिनांकित ।

(1)- प्रतिलिपि समस्त महाप्रबन्धकों एवं समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस आशय से प्रेषित कि वे डिपो की क्षमता एवं कर्मचारियों की डिपो में उपलब्धता के आधार पर उपरोक्तानुसार रसोइयाँ की तैनाती कर लें ।

(2)- प्रतिलिपि वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं आन्तरिक लेखा परीक्षाअधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(3)- प्रतिलिपि (1)- गार्ड बुक ।
(2)- पत्रावली तीन-1।

(आर०एस०सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

note & file
3/2/93

संख्या ई-6933/अनुशा०कार्य   दिनांक: फरवरी 5, 1993

सेवा में,

D.L.M.
मुरादाबाद/नगर

1. समस्त महाप्रबन्धक ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उत्तर प्रदेश वन निगम ।

विषय: वन निगम के कार्मिकों के लिए आचरण नियमावली का प्राविधान ।

सन्दर्भ: इस कार्यालय की पत्र संख्या ई-6056/अनुशा०कार्य, दिनांक 20-11-1989-

महोदय,

प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 25.1.93 में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक वन निगम द्वारा कोई कण्डक्ट रूल्स नहीं बनाये जाते हैं तब तक वन निगम के कार्मिकों पर उ0प्र0 गवर्नमेंट सर्वेन्ट कण्डक्ट रूल्स 1956 लागू होंगे तथा इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत संशोधन भी यथावत लागू रहेंगे । अतः कृपया तद्नुसार यथा-समयकार्यवाही करने का कष्ट करें ।

2- अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में ही यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि निगम के कार्मिकों पर अनुशासनिक कार्यवाही के लिये वही नियम लागू होंगे जो राज्य सरकार के कार्मिकों पर लागू होते हैं ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(आर0एस0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

सं0 ई-6933 (1)/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी सूचित कर दें ।

(हस्ताक्षर)

(आर0एस0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

परि0/

दिनांक 6 नवम्बर, 93

सेवा में

(1) समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबंधक,
(2) समस्त लौगिंग/विक्रय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश वन निगम ।

2288
12/11/93

विषय: कार्पोरेट मैनेजमेंट की प्रवीणता हेतु पत्राचार कोर्स किया जाना ।

महोदय,

आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि उ0 प्र0 वन निगम एक कार्पोरेट अंडरटेकिंग है और इसके कुशल प्रबंध हेतु कार्पोरेट सेक्टर के अन्य प्रतिष्ठानों की भाँति ऐसे प्रबंधकों का होना आवश्यक है जो आधुनिक मैनेजमेंट की पद्धतियों से पूरी तरह अवगत हों । ज्ञातव्य है कि उ0 प्र0 वन निगम में नियुक्ति से पूर्व आपने इस प्रकार के मैनेजमेंट संबंधी कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये थे और जिसके कारण आपकी कार्यक्षमता का पूर्ण लाभ इस संस्था को नहीं मिल पा रहा है । सेवा में रहते हुये विभिन्न संगठनों के अधिकारी अपने प्रयास से मैनेजमेंट प्रशिक्षण पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करके अपने कार्य की कार्य कुशल बनाते हुये अपने संस्थान को अपनी क्षमता का लाभ दे रहें हैं । अत: आपसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी प्रबंधकीय कुशलता बढ़ाने हेतु पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि आप उ0 प्र0 वन निगम के लिये अधिक उपयोगी हो सकें । सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये इस प्रकार के पत्राचार कोर्स "आल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन-14 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा चलाये जा रहें हैं । मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस संस्था से सम्पर्क कर मैनेजमेंट प्रशिक्षण का कोर्स पूर्ण करें ताकि आप एक अच्छे प्रबंधक बन सकें ।

भवदीय,

(एस0पी0मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या ई-5673(1)/उक्तदिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त महाप्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वननिगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9/11/93
(एस0पी0मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वन निगम, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
पत्रांक जी- 3636/आपूर्ति/इमारती प्रकाष्ठ, दिनांक जून 15/96

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या जी-10920/कार्यालय आदेश, दिनांक 22.1.1992 के तारतम्य में सीधी भर्ती के कर्मचारियों को सेवा काल में एक बार रियायती दर पर लकड़ी देने के नियमों में निम्नलिखित निदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जाते है :-

1. परमिट जारी करने वाले अधिकारी लकड़ी की साइज एवं प्रजाति भी परमिट में दर्शायेंगें ।
2. किसी भी कर्मचारी को 2.50 मीटर से अधिक लम्बाई के प्रकाष्ठ की आपूर्ति नहीं की जायेगी ।
3. प्रत्येक कर्मचारी, जिन्होंनें डिपो से प्रकाष्ठ उठा लिया है, उक्त कार्यालय आदेश के बिन्दु-4 के अनुसार परमिट निर्गत करने वाले अधिकारी को एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाण पत्र देगें कि उन्होंनें प्रकाष्ठ का सदुपयोग कर लिया है । जिन कर्मचारियों ने अभी तक प्रमाणपत्र नहीं दिया है, उनसे एक माह के अन्दर प्रमाणपत्र अवश्य ले लिया जाय ।
4. रियायती दर पर प्राप्त प्रकाष्ठ का उपयोग केवल अपने निजी मकान निमार्ण हेतु किया जायेगा । प्रकाष्ठ का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार का उपयोग उपरोक्त सुविधा का दुरूपयोग समझा जायेगा और रियायती प्रकाष्ठ प्राप्त करने वाले कर्मचारी से स्वीकृत प्रकाष्ठ के मूल्य की वसूली बाजार भाव से, जो भी प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वन निगम, निर्धारित करेगें, की जायेगी तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

जवाहरलाल
(जवाहर लाल)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या जी-3696(1)/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त कार्यालय आदेश के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त बिन्दु में दिये गये प्रमाणपत्र में यदि कोई संदेह हो तो परमिट निर्गतकर्ता अधिकारी स्वयं अथवा लौगिंग अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी से इसकी जाँच करा लें :-

1. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0वन निगम ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0वन निगम ।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ ।
4. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0वन निगम ।
5. अन्य समस्त अधिकारी, उ0प्र0वन निगम ।

जवाहर...
(जवाहरलाल)
प्रबन्ध निदेशक

केडी/ 14.6